


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2015/पौष 22, 1936

No. 14]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/PAUSHA 22, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

सं. फा.-6-1 / (ii) / 2006(सीपीपी-1) / डी.यू.—

[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय बनने वाली संस्थाएं) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015]

1. (1) ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सम-विश्वविद्यालय बनने वाली संस्थाएं) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015 कहलाएंगे।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. मूल विनियम के अनुलग्नक 2 में:

धारा 6.2(iii) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“यदि कुलपति का पद, मृत्यु, त्यागपत्र देने या किसी अन्य कारण से तथा उनकी बीमारी के कारण तथा किसी अन्य कारण रिक्त पड़ा रहता है तो उनकी अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति तथा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम प्रोफेसर नये कुलपति की नियुक्ति होने तक या वर्तमान कुलपति के कार्यभार संभालने तक, जैसा भी मामला हो, कुलपति का कार्यभार संभालेंगे।”

प्रो. (डॉ.) जसपाल एस. संघु, सचिव

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 113 / 14]

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st January, 2015

No. F. 6-1(ii)/2006(CPP-I/DU).—

[UGC (INSTITUTIONS DEEMED TO BE UNIVERSITIES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2015]

1. (1) These may be called the UGC (Institutions Deemed to be Universities) (Second Amendment) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Annexure 2 of the principal Regulation:—

For Clause 6.2(iii) the following shall be substituted, namely:—

“In case of the office of the Vice-Chancellor becoming vacant due to death, resignation or otherwise and in case of his/her absence due to illness or any other cause, the Pro Vice-Chancellor, and in his/her absence, the senior most Professor shall perform the duties of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor is appointed, or the existing vice-Chancellor resumes duties, as the case may be.”

Prof. (Dr.) JASPAL S. SANDHU, Secy.
[ADVT-III/4/Exty./113/14]